न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 82/2017

(आरसीएमएस नम्बरः– 2017/00098)

उनवान प्रकरण

1–प्रेम शंकर आयु करीव 70 वर्ष । पुत्रगण रामेश्वरदयाल जातिगण ब्राहम्ण
2–उमा शंकर आयु करीव 65 वर्ष । निवासीगण ग्राम पुरानीछावनी तह0व जिला धौलपुर .....प्रार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर राज0
2– आवंटन कमेटी धौलपुर जरिये उप खण्ड अधिकारी धौलपुर अध्यक्ष, आवंटन कमेटी धौलपुर
3– शिवचरन पुत्र टुण्डा जाति जाटव निवासी ग्राम हिन्नोदा तहसील व जिला धौलपुर
4–रामबेटी पुत्री रामेश्वर दयाल पत्नी रमाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरानीछावनी तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी कैला कॉलौनी धौलपुर तहसील धौलपुर
5–पीयूष । माता श्रीमती शकुन्तला पिता सुरेश जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण
6–सोनिया ।
7–नीतू । ग्राम मिढाकुर तहसील किरावली जिला आगरा उ0प्र0
8–नीलम ।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–
प्रार्थीगण की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर सेः– श्री गोपालनारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से :– श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 4लगा08 की ओर से :–श्री सन्तोष कुमार गुर्जर एडवोकेट

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

निर्णय **दिनांक : 10.8.2018**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 उपनियम (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन इन तथ्यों के आधार पर पेश किया है कि गत खसरा नम्बर 56 रकवा 03 बीघा 12 विस्वा बांके ग्राम हिन्नोदा की अजुध्यी बेवा पूरनसिंह कौम गूजर निवासी पुरानीछावनी तहसील व जिला धौलपुर खातेदार काश्तकार थी। गत खसरा नम्बर 56 का 03 बीघा 12 विस्वा रकवा हाल खसरा नम्बर 163 में 02 बीघा 05 विस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 164 में 01 बीघा 07 विस्वा बन्दोवस्त विभाग ने राजस्व दस्तावेज में अंकित कर दिया था। रामेश्वरदयाल पुत्र श्री श्यामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरानीछावनी तहसील व जिला धौलपुर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 4.4.1969 को गत खसरा नम्बर 56 रकवा 03 बीघा 12 विस्वा बांके ग्राम हिन्नोदा का सम्पूर्ण क्षेत्रफल तत्कालीन स्वामी एवं आधिपत्यधारी खातेदार मुस्0 अजुध्यी बेवा पूरनसिंह जाति गुर्जर निवासी पुरानीछावनी तहसील धौलपुर से बिल एवज मुबलिग 500/—रू0 में विधिवत रूप से क्रय किया था तथा आधिपत्य एवं स्वामित्व प्राप्त कर लिया था। रामेश्वरदयाल का निधिन हो चुका है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 लगा0 8 रामेश्वरदयाल के वारिस है तथा अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 8 बतौर प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण के लिये उपस्थित नहीं होने की वजह से तरतीवी अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार प्रार्थना पत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 8 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। रामेश्वर दयाल के पक्ष में उक्त विक्रय पत्र तारीखी 4.4.1969 बन्दोवस्त से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 56 बांके ग्राम हिन्नोदा का किया गया था तथा बन्दोवस्त विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश व अधिकार के तत्तकालीन खातेदारी इन्द्रांजात को लोपित कर दिया तथा खसरा संख्या 163 सिवायचक लगानी अंकित कर दिया। प्रार्थीगण के पिता रामेश्वरदयाल के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 15.4.1975 को नामान्तकरण खोला गया था तथा राजस्व तथा राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण तारीखी 15.4.1975 को प्रार्थीगण एवं उसके पिता की बैक पर लोपित कर हाल खसरा संख्या 163 को सिवायचक अंकित कर दिया। प्रार्थीगण की बैक पर राजस्व कर्मचारियों से साज कर अप्रार्थी संख्या—3 शिवचरन ने आवंटन कमेटी को धोखे में रख कर कपटपूर्ण तरीके से हाल खसरा संख्या 163 में से 01 बीघा 08 विस्वा भूमि का अवैध रूप से आवंटन अन्य खसरा नम्बर 90 व 169 बांके ग्राम हिन्नोदा के साथ दिनांक 3.12.1977 को करा लिया जो वमुकाबले हकूक प्रार्थीगण शून्य है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में हुये आवंटन तारीखी 3.12.1977 के खसरा नम्बर 163 का वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 163/218 बांके ग्राम हिन्नोदा के रूप में अंकित है। अप्रार्थी संख्या—3 के पक्ष में किये गये आवंटन तारीखी 3.12.1977 से पूर्व मौके की कोई जॉच नहीं की गयी तथा आवंटन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

विधिवत उदघोषणा नहीं की गयी तथा ना ही प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिया गया लिहाजा आवंटन विधि विरूद्व है तथा काबिल खारिजी के है। आवंटन के लिये यह आवश्यक शर्त होती है कि आवंटित भूमि सभी भारों से मुक्त हो जबकि हाल खसरा संख्या 163 में 02 बीघा 05 विस्वा रकवा बन्दोवस्त से पूर्व प्रार्थीगण के पिता द्वारा कय किया हुआ था तथा विकय पत्र आज भी प्रभावी एवं वैध है तथा खसरा संख्या 163 वक्त आवंटन अनअधिवासित भूमि की श्रेणी में नहीं था तथा किसी व्यक्ति की कय शुदा भूमि को किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता है लिहाजा आवंटन विधि विरूद्व है तथा काबिल खारिजी है। अवैध आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को अर्सा करीब 01 माह पूर्व हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 163 की पैमाइश करने पर तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करवाये जाने पर प्रार्थीगण को प्रथम बार हुई तथा प्रार्थीगण ज्ञान से अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 शिवचरन के पक्ष में हुआ आवंटन तारीखी 3.12.1977 बावत आराजी खसरा नम्बर 163/2018 रकवा 01 वीघा 08 विस्वा बांके ग्राम हिन्नोदा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 ग्राम हिन्नोदा, प्रमाणित प्रति आवंटन तारीखी 3.12.1977 वहक शिवचरन पुत्र टुण्डा जाति जाटव, प्रमाणित सूची आवंटन 3/12/1977 सहायक जिलाधीश धौलपुर, नक्शा ट्रेस हाल ख0न0 163 ग्राम हिन्नोदा, प्रमाणित प्रति नक्सा तरमीम हाल ख0न0163 गाम हिन्नोदा, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल ख0न0 163 व 164, प्रमाणित प्रति मिसिल बन्दोवस्त खाता संख्या 14, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2023 ग्राम हिन्नोदा, प्रमाणित प्रति विकय पत्र तारीखी 18.4.1969 बावत खसरा नम्बर गत 56 ग्राम हिन्नोदा, प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 11,10 ग्राम हिन्नोदा,फोटोप्रति आधार कार्ड उमाशंकर प्रेमशंकर पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 4 लगा08 की ओर से श्री संतोषकुमार गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना बकालतनामा पेश किया तथा उक्त अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाव पेश नहीं हुआ। अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि यदि कोई विकय पत्र अजुघ्यी बेवा पूरन सिंह द्वारा किया गया है तो वह अवैध है जिससे केता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मौके पर आज तक कभी भी कथित केता का आधिपत्य नहीं हुआ है। उत्तरदाता अनुसूचित जाति का गरीब एवं भूमिहीन व्यक्ति है विवादित आराजी आबंटन के समय सिवायचक भूमि थी जिसका विधिवत आवंटन दिनांक 3.12.1977 को भूमि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक में विधि सम्मत तरीके से किया

अति0 जिला कलक्टर
धौ.पुर

Scanned by CamScanner

गया था और वक्त आवंटन विवादित आराजी आवंटन के लिये खाली भूमि थी जिस पर प्रार्थीगण या उनके पिता का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। आवंटन से पूर्व विधिवत आवंटन योग्य खाली भूमियों की सूची बनाई गई तथा घोषणा पत्र जारी किया गया उत्तरदाता के साथ अन्य दस लोगो को भी आवंटन हुये थे। आवंटन के बाद उत्तरदाता को मौके पर कब्जा दिया गया तब से आज तक उत्तरदाता मौके पर काबिज है और काश्त कर रहा है। मुस0 अजुध्यी पर लगभग 1,000 बीघा जमीन पुरानी छावनी एवं हिन्नोदा में थी जो तत्कालीन सिलिंग कानून के तहत राज्य सरकार की हो चुकी थी यदि इसके बावजूद कोई बयनामा अजुध्यी से प्रार्थीगण के पिता द्वारा करायी हो तो वह शून्य एवं प्रभावहीन दस्तावेज है, जिससे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। जिन तथ्यों के आधार पर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना की है वे तथ्य ऐसे है जिनमें विस्तृत जांच पडताल की आवश्यकता होती है जिसका निर्धारण प्रार्थना पत्र के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है। उत्तरदाता को सिवायचक भूमि जो कि राज्य सरकार की भूमि होती है, आवंटन के जरिये प्राप्त हुई है यदि सिवायचक के इन्द्रांजो को प्रार्थीगण गलत बताते है तो उसके लिये राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाकर कार्यवाही की जानी चाहिए। उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार को पक्षकार तो बनाया है मगर कोई नोटिस धारा 80 सीपीसी नहीं दिया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा इन्द्रांजो की यदि कोई गडबडी हुई है तो उसके लिये नियमित वाद में ही निर्धारण हो सकता है। उक्त प्रकरण के माध्यम से प्रार्थी के अधिकारों का निर्धारण संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि रामेश्वरदयाल पुत्र श्री श्यामलाल जाति ब्राहम्ण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 4.4.1969 को गत खसरा नम्बर 56 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा का सम्पूर्ण क्षेत्रफल तत्कालीन स्वामी एवं आधिपत्यधारी खातेदार मुस0 अजुध्यी बेवा पूरनसिंह जाति गुर्जर से विधिवत रूप से क्रय किया था तथा आधिपत्य एवं स्वामित्व प्राप्त कर लिया था। रामेश्वर दयाल के पक्ष में उक्त विक्रय पत्र तारीखी 4.4.1969 बन्दोवस्त से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 56 बांके ग्राम हिन्नोदा का किया गया था तथा बन्दोवस्त विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश व अधिकार के तत्तकालीन खातेदारी इन्द्रांजात को लोपित कर दिया तथा खसरा संख्या 163 सिवायचक लगानी अंकित कर दिया। प्रार्थीगण के पिता रामेश्वरदयाल के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 15.4.1975 को नामान्तकरण खोला गया था तथा राजस्व तथा राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण तारीखी 15.4.1975 को प्रार्थीगण एवं उसके पिता की बैक पर लोपित कर हाल खसरा संख्या 163 को सिवायचक अंकित कर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

दिया। प्रार्थीगण की बैक पर राजस्व कर्मचारियों से साज कर अप्रार्थी संख्या–3 शिवचरन ने आवंटन कमेटी को धोखे में रख कर कपटपूर्ण तरीके से हाल खसरा संख्या 163 में से 01 बीधा 08 विस्वा भूमि का अवैध रूप से आवंटन दिनांक 3.12.1977 को करा लिया जो वमुकाबले हकूक प्रार्थीगण शून्य है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में हुये आवंटन तारीखी 3.12.1977 के खसरा नम्बर 163 का वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 163/218 बांके ग्राम हिन्नोदा के रूप में अंकित है। अप्रार्थी संख्या–3 के पक्ष में किये गये आवंटन तारीखी 3.12.1977 से पूर्व मौके की कोई जॉच नहीं की गयी तथा आवंटन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की विधिवत उदधोषणा नहीं की गयी तथा ना ही प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिया गया लिहाजा आवंटन विधि विरूद्व है तथा काबिल खारिजी के है। आवंटन के लिये यह आवश्यक शर्त होती है कि आवंटित भूमि सभी भारों से मुक्त हो जबकि हाल खसरा संख्या 163 में 02 बीधा 05 विस्वा रकवा बन्दोवस्त से पूर्व प्रार्थीगण के पिता द्वारा क्रय किया हुआ था तथा विक्रय पत्र आज भी प्रभावी एवं वैध है तथा खसरा संख्या 163 वक्त आवंटन अनअधिवासित भूमि की श्रेणी में नहीं था तथा किसी व्यक्ति की क्रय शुदा भूमि को किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जा सकता है लिहाजा आवंटन विधि विरूद्व है तथा काबिल खारिजी है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी 2014(2)पेज 797, आरआरटी 2014(1)पेज 117, आरआरटी 2001(1) पेज–26, आरआरटी 2015(2) पेज 1064, आरआरडी 1982 पेज 441, 237, 305, 76, 464 एवं कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के न्यायिक दृष्टायान्त पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि कोई विक्रय पत्र अजुघ्यी बेवा पूरन सिंह द्वारा किया गया है तो वह अवैध है जिससे केता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मौके पर आज तक कभी भी कथित केता का आधिपत्य नहीं हुआ है। उत्तरदाता अनुसूचित जाति का गरीब एवं भूमिहीन व्यक्ति है विवादित आराजी आबंटन के समय सिवायचक भूमि थी जिसका विधिवत आवंटन दिनांक 3.12.1977 को भूमि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक में विधि सम्मत तरीके से किया गया था और वक्त आवंटन विवादित आराजी आवंटन के लिये खाली भूमि थी जिस पर प्रार्थीगण या उनके पिता का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। आवंटन से पूर्व विधिवत आवंटन योग्य खाली भूमियों की सूची बनाई गई तथा घोषणा पत्र जारी किया गया उत्तरदाता के साथ अन्य दस लोगो को भी आवंटन हुये थे। आवंटन के बाद उत्तरदाता को मौके पर कब्जा दिया गया तव से आज तक उत्तरदाता मौके पर काविज है और काश्त कर रहा है। मुस0 अजुघ्यी पर लगभग 1,000 बीधा जमीन पुरानी छावनी एवं हिन्नोदा में थी जो तत्कालीन सिलिंग कानून के तहत राज्य सरकार की हो चुकी थी यदि इसके बावजूद कोई वयनामा अजुघ्यी से प्रार्थीगण के पिता द्वारा कराया हो तो वह शून्य एवं प्रभावहीन दस्तावेज है, जिससे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजस्थान सरकार को पक्षकार तो बनाया है मगर कोई नोटिस धारा 80

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

सीपीसी नहीं दिया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वन्दोवस्त विभाग द्वारा इन्द्रांजो की यदि कोई गडवडी हुई है तो उसके लिये नियमित वाद में ही निर्धारण हो सकता है। उक्त प्रकरण के माध्यम से प्रार्थी के अधिकारों का निर्धारण संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 163 में से 1 वीधा 8 विस्वा वाके ग्राम हिन्नोदा तहसील धौलपुर का आंवटन 3.12.1977 अप्रार्थी संख्या–3 शिवचरन पुत्र टुण्डा जाति जाटव निवासी ग्राम हिन्नोदा तहसील धौलपुर को भूमि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक में विधि सम्मत तरीके से किया गया है तथा उसे गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी के साथ अन्य दस लोगों को भी आवंटन हुये थे। रिकार्ड के अवलोकन से अप्रार्थी शिवचरन ने सम्वत् 2037 में सोहं, सम्वत् 2038 में सोहां, सम्वत् 2040 में चना एवं सम्वत् 2042 में वाजरा व चना, सम्बत 2043 में सोहा, सम्बत 2044 में वाजरा की काश्त का अंकन है। इससे यह सावित होता है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी काबिज काश्त है। इस प्रकार दिनांक 3.12.1977 को अप्रार्थी शिवचरन पुत्र टुण्डा जाति जाटव निवासी ग्राम हिन्नोदा तहसील धौलपुर को किये गये आवंटन को 39 बर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है। प्रार्थी ने जिन तथ्यों के आधार पर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना की है वे तथ्य ऐसे है जिसका निर्धारण प्रार्थना पत्र के माध्यम से किया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थी को सिवायचक भूमि जो कि राज्य सरकार की भूमि होती है आवंटन के जरिये प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण जिस वयनामा का कथन करके आये है और यदि बन्दोवस्त विभाग द्वारा इन्द्राजों का कोई गलत इन्द्रांज किया गया है तो उसके लिये नियमित वाद में ही निर्धारण हो सकता है जिसके लिये प्रार्थीगण अपने अधिकारों की धोषणा कराने के लिये सक्षम न्यायालय में बाद दायर के लिये स्वंत्रत है। अतः प्रार्थी का प्रर्थाना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner